RNI No. MAHBIL /2009/31730

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ११, अंक ४] मंगळवार, मार्च १८, २०२५/फाल्गुन २७, शके १९४६ [पृष्ठे ७, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ४

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक **१८ मार्च, २०२५** ई.को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशित किया जाता है :-

L. A. BILL No. XXIII OF 2025.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA STAMP ACT.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक २३ सन् २०२५।

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक ।

सन् १९५८ का ६०।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम। **१.** यह अधिनियम महाराष्ट्र स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, २०२५ कहलाए। सन् १९५८ का ६०।

सन् १९५८ का ६० की धारा ४ में संशोधन। **२.** महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहां गया हैं) की धारा ४ की, उप-धारा (१) में, "एक सौ रुपयों" शब्दों के स्थान में, "पाँच सौ रुपये" शब्द रखे जायेंगे। सन् १९५८ का ६०।

सन् १९५८ का ६० की धारा १० में संशोधन। **३.** मूल अधिनियम की धारा १० की,–

(१) उप-धारा (३) के स्थान में निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात् :–

"(३) (क) उप-धारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकारी उक्त अनुसूची के स्तंभ (२) में यथा विनिर्दिष्ट प्रभार्य शुल्क **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा अनुसूची एक संबंध में उन लिखतों को विनिर्दिष्ट करेगा जिसके संबंध में,–

(एक) फ्रैंकिंग मशीन के माध्यम से; या

(दो) सरकारी रसीद लेखा प्रणाली (जी. आर. ए. एस.) के ज़रिए आभासी कोषागार में या, कोई अनुज्ञेय नेट बैंकिग पद्धति के ज़रिए इस निमित्त में उक्त प्राधिकारी द्वारा **राजपत्र** में विनिर्दिष्ट किसी बैंक खाते में ई-भुगतान द्वारा भुगतान किया जायेगा।

(ख) ई-भुगतान द्वारा अदा किये गये किसी शुल्क को,–

(एक) इस प्रयोजन के लिए मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकारी द्वारा सम्यक् अधिसूचीत उचित अधिकारी द्वारा लिखत पर किये गए उस पृष्ठांकन द्वारा ; या

(दो) ऐसी लिखत से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के लिए समेकित भुगतान के मामले में ऐसे समुचित अधिकारी द्वारा जारी किये गए प्रमाणपत्र द्वारा ; या

(तीन) मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकारी द्वारा जैसा कि विहित किया जाए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और पद्धति के ज़रिए जारी ई-स्टाम्प प्रमाणपत्र द्वारा,

दर्शाया जायेगा।

(ग) यदि, समुचित अधिकारी ने, खण्ड (ख) अधीन लिखत को समर्थित नहीं किया है या प्रमाणपत्र जारी नहीं किया है या, यथास्थिति, विहित इलेक्ट्रॉनिक साधनों या प्रणाली के ज़रिए ई-स्टाम्प प्रमाणपत्र जारी नहीं किया है तो तब खण्ड (क) के अधीन केवल ई-अदायगी इस अधिनियम के किसी प्रयोजनों के लिए शुल्क भुगतान के रूप में समझी नहीं जायेगी।

(घ) ई-अदायगी का उपयोग, समुचित अधिकारी द्वारा पृष्ठांकन या प्रमाणीकरण और ई-स्टाम्प प्रमाणपत्र तैयार करने का विनियमन करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जिसे मुख्य राजस्व प्राधिकारी आदेश द्वारा अवधारित करें ।"।

(२) उप-धारा (३क) अपमार्जित की जायेगी ;

(३)उप-धारा (४) में,–

(एक) "किया गया पृष्ठांकन" शब्दों के पश्चात् "जारी किया गया प्रमाणपत्र या तैयार किया गया ई-स्टाम्प प्रमाणपत्र" शब्द निविष्ट किए जायेंगे ;

(दो)" पृष्ठांकन में " शब्दों के पश्चात् "प्रमाणपत्र या ई-स्टाम्प प्रमाणपत्र" शब्द और अक्षर निविष्ट किए जायेंगे।

४. मूल अधिनियम की धारा १० घ की,– सन् १९५८ का ६० की धारा १० घ में संशोधन।

(१) उप-धारा (३) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात् :–

"(३) उप-धारा (२) के अधीन इस प्रकार प्राधिकृत समुचित अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि, यथा निम्न चालान के विरुपण के पश्चात्, लिखत पर पृष्ठांकन करना :–

दिनांकित ..... "जी आर एन क्रमांक ..... सी आय एन..... ई-चालन द्वारा.... अदा किया गया ई-स्टाम्प शुल्क.....

कार्यालय की मुद्रा। अधिकारी के हस्ताक्षर।"

(२) परंतुक में, "प्राप्ति (इ-एस बी टी आर)" शब्द, कोष्ठक और अक्षरों के पश्चात् "उप-धारा (३) के अधीन निर्मित ई-स्टाम्प प्रमाणपत्र" शब्द, अक्षर, कोष्ठक और अंक निविष्ट किए जायेंगे।

५. मूल अधिनियम की धारा ३१ की,– सन् १९५८ का ६० की धारा ३१ में संशोधन।

(१) उप-धारा (१) " एक सौ रुपयों की फ़ीस" शब्दों के स्थान में, "एक हजार रुपयों की फ़ीस" शब्द रखे जायेंगे ;

(२) उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न परंतुक निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–

सन् २०२५ का महा ..... ।

"परंतु, निष्पादित लिखतों के संबंध में, महाराष्ट्र स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, २०२५ के प्रारभ्भण के पश्चात्, जब तक व्यक्ति ने जिलाधिकारी को निक्षेपित नहीं किया है, तब तक अधिनिर्णय के लिए कोई आवेदन स्वीकृत नहीं किया जायेगा,-

(एक) जहाँ स्टाम्प शुल्क सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर प्रभार्य है, जो ऐसे लिखत की विषय वस्तु है, व्यक्ति के अनुसार लिखत में या ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य में विवरणित प्रतिफल के मूल्य के अनुसार प्रभार्य स्टाम्प शुल्क के बीच शेष रक़म जो भी उच्चतर है और स्टाम्प शुल्क लिखत पर पहले से ही अदा की गई है ; और–

(दो) अन्य मामलों में, व्यक्ति के अनुसार प्रभार्य स्टाम्प शुल्क और लिखतों पर पहले से ही अदा किए गए स्टाम्प शुल्क के बीच की शेष रकम :

परंतु आगे यह कि, जिलाधिकारी अंतिम रूप से अवधारित स्टाम्प शुल्क के रूप में ऐसी निक्षेपित रक़म समायोजित करेगा और निक्षेपित की गई अधिक रक़म यदि कोई हो, तो निक्षेपित किए जाने के पैंतालिस दिनों की अवधि के भीतर उसे बिना किसी ब्याज के व्यक्ति को प्रतिदाय करेगा।"।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

वर्ष २०२५-२६ के बजट अभिभाषण में अंतर्विष्ट में प्रस्तावों को प्रभावी बनाने की दृष्टि से, सरकार, महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम (सन् १९५८ का ६०) में संशोधन करना इष्टकर समझती है।

२. महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम (जिसे इसमें आगे, "स्टाम्प अधिनियम" कहा गया है) के प्रस्तावित संशोधन यथा निम्न है :–

(एक) अनुपूरक दस्तावेज के मामले में यदि संव्यवहार पूर्ण करने के लिए एक दस्तावेज से अधिक दस्तावेज के उपयोग किये जाते है जो बहुत पहले दिनों की नाममात्र एक सौ रुपयों की रक़म पाँच सौ रुपयों तक स्टाम्प शुल्क दर बढ़ाने की दृष्टि से, स्टाम्प शुल्क अधिनियम की धारा ४ में संशोधन करना प्रस्तावित करती है।

(दो) स्टाम्प शुल्क अधिनियम की धारा १० और १० घ, राज्य सरकारी कोषागार में "ई-स्टाम्प प्रमाणपत्र" के लिए नए उपबंध करने में ई-अदायगी के लिए तथा "स्टाम्प शुल्क का प्रमाणपत्र" की अदायगी के लिए ऑनलाईन प्रणाली सुकर करने ताकि लोग कहीं से भी, किसी समय पर ऑनलाईन स्टाम्प शुल्क अदा कर सके, की दृष्टि से संशोधन करना प्रस्तावित करती है।

(तीन) स्टाम्प अधिनियम की धारा ३१ की, उप-धारा (१) लिखत के प्रभार्यों के लिए, अधिनिर्णय फ़ीस १०० रुपयों से बढ़ाकर १००० रुपयों तक करने के लिए जिलाधिकारी की राय लेने के आवेदन के लिए और निष्पादित लिखत के अधिनिर्णय के लिए आवेदन दाखिल करते समय उसमें विनिर्दिष्ट स्टाम्प शुल्क की कतिपय रक़म को निक्षेपित करने के लिए उपबंध करने की दृष्टि से, संशोधित करना प्रस्तावित करती है।

३. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित १७ मार्च, २०२५।

चंद्रशेखर बावळकुळे,
राजस्व मंत्री।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन।

प्रस्तुत विधेयक में विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए निम्न प्रस्ताव अर्न्तग्रस्त है, अर्थात् :–

खण्ड ३(१).– इस खण्ड के अधीन, महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की धारा १० की विद्यमान उपधारा की प्रतिस्थापना करना जिसका आशय है,–

(एक) खण्ड (क) में, मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकारी को, अनुसूची एक में लिखत, जिसके संबंध में उक्त अनुसूची के स्तंभ (२) में यथा विनिर्दिष्ट शुल्क प्रभार्य है की अदायगी फ्रॅन्किग मशीन के साधनों सरकारी प्राप्ति लेखा प्रणाली (जी. आर. ए. एस) के ज़रिए आभासी कोषागार में ई-अदायगी या उसमें विनिर्दिष्ट किसी बँक खाते में के ज़रिए अदा की जायेगी, को **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान गई है।

(दो) खण्ड (ख) में, मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकारी को, इलेक्ट्रॉनिक साधनों और प्रणाली जिसके ज़रिए शुल्क की ई-अदायगी के लिए ई-स्टाम्प प्रमाणपत्र निर्मित किए जा सकेंगे, को विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है ;

(तीन) खण्ड (घ) में मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकारी को, समुचित अधिकारी द्वारा ई-अदायगी, पृष्ठांकन या प्रमाणपत्र के उपयोग को विनियमित करने और ई-स्टाम्प प्रमाणपत्र को तैयार करने की प्रक्रिया आदेश द्वारा अवधारित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरुप के है।

वित्तीय ज्ञापण।

विधेयक में महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम (सन १९५८ का ६०) की धाराएँ ४,१०,१०घ और ३१ में संशोधन करने के लिए प्रस्तावित है, ताकि वित्तीय वर्ष २०२५-२०२६ के लिए बजट भाषण में अन्तर्विष्ट प्रस्तावों को प्रभावी बनाया जा सके। प्रस्तुत विधेयक में राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रूप में उसकी अधिनियमिति पर राज्य के समेकित निधि से आवर्ती या अनावर्ती व्यय शामिल होने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल की अनुशंसा

(महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग, आदेश कि प्रत)

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के खंण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्र स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, २०२५ ई. पर पुरःस्थापना करने की अनुशंसा करते है।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांक १८ मार्च, २०२५।

जितेंद्र भोळे,
सचिव (१) (कार्यभार),
महाराष्ट्र विधानसभा।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.